COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

12

C.F. 7.50

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० १६४ पुनरीक्षण

RH/41/R/553/94

क्रमांक ...... श्री ...... अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 26.5.94 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

महिला सियादुलारी पुत्री नारायण निवासी ग्राम दबोहा तहसील व जिला भिण्ड ------ आवेदक

विरूद्ध

लक्ष्मण प्रसाद पुत्र द्वारका प्रसाद शास्त्री निवासी ग्राम दबोहा तहसील व जिला भिण्ड ------ अनावेदक

अपर आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक २३५।६२-६३ में पारित आदेश दिनांक २८-३-६४ के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० भू राजस्व संहिता १६५६.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(१) यह कि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध, मनमाना एवं अनुचित होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(२) यह कि प्रकरण में विवादित भूमि आवेदिका के स्वत्व एवं आधिपत्य की है । अनावेदक का उससे किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है

(३) यह कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय में आवेदक की भूमि पर आधिपत्य अंकित कराने का आवेदन दिया था । तह[illegible] ने उक्त आवेदन-पत्र की कोई सूचना आवेदक को न[illegible]

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक रिवीजन/4-1/553/1994 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
1.3.2016	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 235/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-1994 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचर करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि स्व0लक्ष्मन प्रसाद पुत्र द्वारका प्रसाद ब्राहण ने ग्राम दवोहा की भूमि सर्वे नंबर 74 रकबा 1.108 हैक्टर पर पिछले 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा होने के आधार पर तहसीलदार भिण्ड से खसरे में कब्जा इन्द्राज करने की मांग की। तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण कमांक 359/89-90 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 21-5-1990 से खसरे के खाना नंबर 12 में लक्ष्मणप्रसाद का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध महिला सियादुलारी पुत्री नारायण निवासी दवोहा ने अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील कमांक 8/1989-90 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 28-6-93	

पारित किया तथा तहसीलदार भिण्ड का आदेश दिनांक 21-5-90 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 235/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-1994 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28-6-93 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को वापिस किया कि वह अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर उभय पक्ष को सुनकर निर्णय लें तथा तत्पश्चात् आवश्यक होने पर अंतिम आदेश पारित करें। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

4/ प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण कमांक 359/89-90 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 21-5-1990 से भूमि सर्वे कमांक 74 रकबा 1.108 हैक्टर के खसरे के खाना नंबर 12 में लक्ष्मणप्रसाद का नाम दर्ज करने के आदेश दिया है । क्या मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की किसी भी धारा में किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी अन्य का कब्जा दर्ज किये जाने का प्रावधान है ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 114, 115,116 - इन धाराओं के भूमिस्वामी की भूमि पर अन्य का कब्जा दर्ज करने का प्रावधान नहीं है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 121 - तहसीलदार को अधिकारिता प्राप्त नहीं है - उसके व्दारा आधिपत्य की प्रविष्टि हेतु आदेश नहीं दिया जा सकता। (कदीरन महिला विरूद्ध धुन्नी खॉ 1995 रा0नि0 219 एंव ग्वालियर एग्रीकल्चर कं.लि.डबरा विरूद्ध छोटेलाल 1994 रा.नि. 411 से अनुसरित)

स्पष्ट है कि तहसीलदार भिण्ड का प्रकरण कमांक

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक रिवीजन/4-1/553/1994 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
	359/89-90 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 21-5-1990 अधिकारिता- विहीन आदेश था जिसे अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने अपील कमांक 8/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 28-6-93 से ठीक ही निरस्त किया है, किन्तु अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 235/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-1994 से प्रकरण को म्याद के बिन्दु पर उल्लाकर पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी गढ़ाई है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना का आदेश दिनांक 31-3-1994 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अनावेदक व्दारा व्यवहार न्यायालय में दायर वाद भी अमान्य हुआ है जो मान.प्रथम अपर जिला न्यायाधीश भिण्ड के अपील प्रकरण कमांक 14/06 में दिये गये आदेश दिनांक 9 जुलाई 2007 से भी पुष्टिकृत हुआ है। मान0 व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होने से एंव मेल खाने से अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड का आदेश दिनांक 28-6-93 उचित है। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 235/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-1994 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है । परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा अपील कमांक 8/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 28-6-93 उचित होने से यथावत् रखा जाता है। सदस्य	